दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
पर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

प्रश्न 1. 'व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' क्या है?

उत्तर : व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एक अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के योगदान/कौशल को स्वीकार करते हुए और दिव्यांगजनों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने में लगे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 2. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की 6 श्रेणियां क्या हैं?

उत्तर : व्यक्तिगत उत्कृष्टता की श्रेणी के तहत पुरस्कारों और पात्रता की श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत 40% दिव्यांगता या उससे अधिक की बेंचमार्क वाली किसी भी निर्दिष्ट दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए अपना नामांकन जमा कर सकता है: -

   क) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन

   ख) श्रेष्ठ दिव्यांगजन

   ग) श्रेष्ठ दिव्यांगजन बाल/ बालिका (18 वर्ष की आयु तक)

ii) दिव्यांगजन ***या*** कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग नहीं है, यदि वह अन्यथा पात्र है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसी भी श्रेणी के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकता है।

   क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति - दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये कार्यरत ।

   ख) सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर (पुनर्वास पेशेवर/कार्यकर्ता) – दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत।

   ग) सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान / नवप्रवर्तन / उत्पाद विकास – दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में।

प्रश्न 3. क्या अवार्ड पोर्टल के माध्यम से नामांकन जमा करना आवश्यक है?

उत्तर : जी हाँ। पुरस्कार पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए नामांकनों पर केवल पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

प्रश्न 4. क्या कोई व्यक्ति अपना नामांकन भौतिक रूप में/सॉफ्ट कॉपी में सीधे विभाग को प्रस्तुत कर सकता है?

उत्तर: जी नहीं। पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी के लिए नामांकन केवल पुरस्कार पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है। विभाग को सीधे भेजे गए आवेदन/नामांकन पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.5 क्या पुरस्कारों की दो या अधिक श्रेणियों के लिए नामांकन की अनुमति है?

उत्तर: पुरस्कार की उन श्रेणियों के लिए पात्र होने पर एक से अधिक श्रेणी के पुरस्कारों के लिए अलग नामांकन प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन एक वर्ष में केवल एक पुरस्कार दिया जा सकता है। दिया जाने वाला पुरस्कार राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

प्रश्न. 6 कौन नामित कर सकता है?

उत्तर: नामांकन प्रक्रिया भारत के नागरिकों के लिए खुली है। स्व-नामांकन का प्रावधान है और अन्य द्वारा नामांकन का भी प्रावधान है। किसी भी मामले में किसी प्राधिकारी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 7. क्या दिव्यांगजन सभी 6 श्रेणियों के लिए पात्र है?

उत्तर : जी हां, 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी व्यक्ति पात्र होने पर सभी 6 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, दिव्यांगता रहित व्यक्ति केवल 03 श्रेणी के पुरस्कारों के लिए पात्र है जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 2 (ii) के उत्तर में यथा उल्लिखित है।

प्रश्न 8. 'दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' क्या है?

उत्तर : दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी निकायों या निजी निकायों द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्रश्न 9. संस्थागत सशक्तिकरण की पुरस्कार श्रेणियां क्या हैं और उन्हें कौन नामांकित कर सकता है?

उत्तर : संस्थागत सशक्तिकरण के तहत पुरस्कार श्रेणियां निम्नलिखित हैं और इसके लिए प्रावधान है कि कौन नामांकित कर सकता है: -

क्रमांक	पुरस्कार की संस्थागत सशक्तिकरण श्रेणी	कौन नामांकित कर सकता है
i)	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)	या तो स्वयं नामांकन या दूसरों द्वारा नामांकन।
ii)	दिव्यांगजनों के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	-वही-
iii)	दिव्यांगजनों के लिये सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी (सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर)	-वही-
iv)	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन / बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/ जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
v)	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सरकारी/निजी संगठन)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग और निजी संगठन के मामले में इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
vi)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम /यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/ जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
vii)	अपने राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
viii)	पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन	या तो स्वयं नामांकन या दूसरों द्वारा नामांकन।

प्रश्न 10. 'क्या आपके पास आधार है ' पूछने की क्या जरूरत है?

उत्तर : यूजर की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है। दर्ज किया गया मोबाइल नंबर आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए ।

यदि व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेज को अपलोड करके पंजीकरण किया जा सकता है।